विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 22 जून, 2007 को पूर्वाह्न 10.30 बजे आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 14वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की चौदहवीं (14वीं) बैठक श्री गोपाल के पिल्लई, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 22 जून, 2007 को पूर्वाह्न 10.30 बजे कमरा नंबर 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट - I)।

2. अध्यक्ष ने अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। अध्यक्ष ने अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को बताया कि केन्द्र सरकार ने एसईजेड के अनुमोदन तथा एसईजेड के लिए भूमि के अधिग्रहण के संबंध में पत्र दिनांक 22 मई 2007 (प्रति परिशिष्ट 2 के रूप में संलग्न है) के माध्यम से अनुमोदन बोर्ड को कुछ निर्देश जारी किया है। सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को सूचित किया गया है कि राज्य सरकारों को एसईजेड के लिए भूमि का अधिग्रहण तभी करना चाहिए जब 100 प्रतिशत स्वामी सहमति प्रदान करें। राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को सूचित किया गया कि यदि अनिवार्य भूमि अधिग्रहण के लिए कोई प्रस्ताव आएगा तो उसे एसईजेड के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाएगा। यह भी सलाह दी गई कि यथासंभव दोहरी फसल और अनेक फसलों वाली भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। अनुमोदन बोर्ड ने केन्द्र सरकार के निर्देशों को नोट किया।

3. अध्यक्ष ने ऐसे मामलों में आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया जहां औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं अर्थात जहां भूमि उपलब्ध है तथा मैप, राजस्व अभिलेख आदि प्रस्तुत करने की दृष्टि से अगला कदम उठाया जाना चाहिए। यह भी कहा गया कि जहां एसईजेड अधिसूचित हो चुके हैं, संबंधित विकास आयुक्तों / राज्य सरकारों को उन एसईजेड को यथाशीघ्र क्रियाशील बनाने के लिए कदम उठाना चाहिए। अध्यक्ष ने नई परियोजनाओं के धीमे कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त की।

4. अध्यक्ष ने 170 लंबित आवेदनों पर राज्य सरकार के प्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट किया जहां राज्य सरकारों ने 6 माह से अधिक समय तक कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। उन्होंने सूचित किया कि सभी राज्यों को ऐसे प्रस्तावों की सूची भेजी जा रही है और यदि 60 दिन के अंदर सिफारिश प्राप्त नहीं होगी तो यह माना जाएगा कि ये प्रस्ताव अनुमोदन के लायक नहीं हैं और आवेदकों को सूचित करते हुए उसे फाइल किया जाएगा।

5. इसके बाद चर्चा के लिए एजेंडा की मदें ली गईं जो इस प्रकार हैं :

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. ग्राम सोलंकुरिणी, मदुरै तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु में 30.82 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स रुद्रदेव टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम सोलंकुरिणी, मदुरै तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु में 30.82 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स रुद्रदेव टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. कूरगल्ली, जिला मैसूर, कर्नाटक में 12.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स टंडन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। यह भी नोट किया गया कि विकासक ने मैसर्स टी होल्डिंग्स इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स टंडन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, के नाम में भी अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कूरगल्ली, जिला मैसूर, कर्नाटक में 12.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स टी होल्डिंग्स इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. औद्योगिक संपदा, राय, सोनीपत, हरियाणा में 10.06 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 4) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने औद्योगिक संपदा, राय, सोनीपत, हरियाणा में 10.06 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. काकीनाड़ा टाउन, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में 101.175 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स हाई पैरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 5) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने काकीनाड़ा टाउन, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में 101.175 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स हाई पैरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. रंजनगांव, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 30 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध (क्रम संख्या 9) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने रंजनगांव, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 30 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. चाकन, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अनुसंधान एवं विकास सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध (क्रम संख्या 10) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने चाकन, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा अनुसंधान एवं विकास सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

7. पापनकुझी और चित्तूर, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में 11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स फॉक्सकॉन इंडिया डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 14) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने आवेदन में कुल 161.94 हेक्टेयर भूमि का जिक्र किया है जबकि केवल 11 हेक्टेयर भूमि पर उसका कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने पापनकुझी और चित्तूर, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में 11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स फॉक्सकॉन इंडिया डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

8. फेज 2, ग्राम घाटा और बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 11.03 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स जीपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 17) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मैसर्स आईआरईओ इनवेस्टमेंट्स के नाम में पहले अनुमोदित एसईजेड में सन्निकटता के मुद्दे के कारण यह प्रस्ताव आया है, जिसे बाद में एसपीवी मैसर्स जीपी रियल्टर्स के नाम में अंतरित कर दिया गया। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि चूंकि विकासक को गांव की सड़कें / कार्ट पथ सौंपने में समस्या थी इसलिए उन्होंने पिछले अनुमोदन के बाद और भूमि का अधिग्रहण किया है और मूल प्रस्ताव को 3 एसईजेड के लिए प्रस्तावों में विभाजित कर दिया है। अनुमोदन बोर्ड ने आगे नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने फेज 2, ग्राम घाटा और बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 11.03 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स जीपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

9. फेज 3, ग्राम बलोला और बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 17.18 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स जीपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 18) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मैसर्स आईआरईओ इनवेस्टमेंट्स के नाम में पहले अनुमोदित एसईजेड में सन्निकटता के मुद्दे के कारण यह प्रस्ताव आया है, जिसे बाद में एसपीवी मैसर्स जीपी रियल्टर्स के नाम में अंतरित कर दिया गया। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि चूंकि विकासक को गांव की सड़कें / कार्ट पथ सौंपने में समस्या थी इसलिए उन्होंने पिछले अनुमोदन के बाद और भूमि का अधिग्रहण किया है और मूल प्रस्ताव को 3 एसईजेड के लिए प्रस्तावों में विभाजित कर दिया है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने फेज 3, ग्राम बलोला और बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 17.18 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स जीपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

10. औरंगाबाद में 100.43 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अजंता फर्मा लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 20) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने औरंगाबाद में 100.43 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स अजंता फर्मा लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

11. औरंगाबाद में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फर्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अजंता फर्मा लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 21) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने औरंगाबाद में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स अजंता फर्मा लिमिटेड द्वारा फर्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

12. शमशाबाद, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एविएशन के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 22) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने पूछा कि क्या प्रस्तावित एसईजेड में कोई एयरपोर्ट मौजूद है। स्पष्ट किया गया कि एसईजेड एयरपोर्ट को शामिल नहीं करेगा। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने शमशाबाद, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एविएशन के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि एयरपोर्ट प्रस्तावित एसईजेड का अंग नहीं होगा।

13. खोपोली, तालुक खालापुर, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 10.66 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स उत्तम गल्वा स्टील्स लिमिटेड (यूजीएसएल) का अनुरोध (क्रम संख्या 24) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने खोपोली, तालुक खालापुर, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 10.66 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स उत्तम गल्वा स्टील्स लिमिटेड (यूजीएसएल) द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

14. खोपोली, तालुक खालापुर, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 11.63 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स उत्तम गल्वा स्टील्स लिमिटेड (यूजीएसएल) का अनुरोध (क्रम संख्या 25) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने खोपोली, तालुक खालापुर, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 11.63 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स उत्तम गल्वा स्टील्स लिमिटेड (यूजीएसएल) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

15. शिजरा किलाबंदी, ग्राम बादशाहपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 28.04 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स मोहन इनवेस्टमेंट्स एंड प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 26) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने शिजरा किलाबंदी, ग्राम बादशाहपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 28.04 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मोहन इनवेस्टमेंट्स एंड प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

16. राखा, रानी का सिंगोला, निमोठ, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 41.57 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स मायर इंडिया लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 28) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि विकासक ने यह घोषित करते हुए हलफनामा प्रस्तुत किया है कि अपेक्षित होने पर उक्त एसईजेड की स्थापना के लिए सुरक्षागार्डों के लिए निर्मित छोटी अस्थायी इमारत गिरा दी जाएगी। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने राखा, रानी का सिंगोला, निमोठ, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 41.57 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मायर इंडिया लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि एसईजेड के क्रियाशील होने से पूर्व मौजूद शेड / इमारतें गिरा दी जाएंगी।

17. ग्राम हमीरपुर, खटवास, सैदपुर, धनवास और वजीरपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 102 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स रहेजा हरियाणा एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 29) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम हमीरपुर, खटवास, सैदपुर, धनवास और वजीरपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 102 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स रहेजा हरियाणा एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

18. खर्दपाड़ा, नरोली, दादरा एवं नगर हवेली में 14.125 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए ऑम्नीबस इंडस्ट्रियल डवलपमेंट

कार्पोरेशन ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली लिमिटेड (ओआईडीसी) का अनुरोध (क्रम संख्या 30) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने खर्दपाड़ा, नरोली, दादरा एवं नगर हवेली में 14.125 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ऑम्नीबस इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली लिमिटेड (ओआईडीसी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

19. खर्दपाड़ा, नरोली, दादरा एवं नगर हवेली में 11.465 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए ऑम्नीबस इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली लिमिटेड (ओआईडीसी) का अनुरोध (क्रम संख्या 31) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने खर्दपाड़ा, नरोली, दादरा एवं नगर हवेली में 11.465 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ऑम्नीबस इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली लिमिटेड (ओआईडीसी) द्वारा रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

20. चिंटावरम गांव, चिल्लाकरु मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में 235 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में वस्त्र एवं परिधान के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एमएएस फेब्रिक पार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एमएफपी) का अनुरोध (क्रम संख्या 32) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है और एसईजेड के विकास के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने चिंटावरम गांव, चिल्लाकरु मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में 235 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एमएएस फेब्रिक पार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एमएफपी) द्वारा वस्त्र एवं परिधान के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

21. बाड़ा बंगारदा, इंदौर, मध्य प्रदेश में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स जूम डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 33) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने बाड़ा बंगारदा, इंदौर, मध्य प्रदेश में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स जूम डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

22. कालंबोली - नवी मुंबई, महाराष्ट्र में 63.74 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (कालंबोली - जैव प्रौद्योगिकी डिवीजन) का अनुरोध (क्रम संख्या 34) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तथापि, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने रिक्तता एवं सन्निकटता के संबंध में शंकाएं व्यक्त की। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि प्रस्तावित भूमि संस्पर्शी है तथा खाली पड़ी है। तद्नुसार, रिक्तता एवं सन्निकटता के संबंध में राज्य सरकार से पुष्टि के आधार पर अनुमोदन बोर्ड ने कालंबोली - नवी मुंबई, महाराष्ट्र में 63.74 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (कालंबोली - जैव प्रौद्योगिकी डिवीजन) द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

23. कालंबोली - नवी मुंबई, महाराष्ट्र में 179 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में लाइट इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (कालंबोली - लाइट इंजीनियरिंग डिवीजन) का अनुरोध (क्रम संख्या 35) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तथापि, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने एक गांव तथा छोटी आंतरिक ग्रामीण सड़कों का उल्लेख किया जो रिक्तता एवं सन्निकटता में व्यवधान पैदा करते हैं। इस मुद्दे पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि सिडको द्वारा 20 साल पहले उक्त भूमि का अधिग्रहण किया गया था और सिडको द्वारा आंतरिक सड़कों का भी अधिग्रहण किया गया था और इस प्रकार एसईजड के प्रस्तावित क्षेत्र में कोई आम रास्ता नहीं है। यह भी पुष्टि की गई कि उस क्षेत्र में केवल एक गांव है जिसका अधिग्रहण नहीं किया गया परंतु उसे एसईजेड के प्रस्तावित क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। तद्नुसार, राज्य सरकार से पुष्टि के आधार पर अनुमोदन बोर्ड ने कालंबोली - नवी मुंबई, महाराष्ट्र में 179 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (कालंबोली - लाइट इंजीनियरिंग डिवीजन) द्वारा लाइट इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

24. कालंबोली - नवी मुंबई, महाराष्ट्र में 103.25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फर्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (कालंबोली - फर्मास्युटिकल डिवीजन) का अनुरोध (क्रम संख्या 36) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कालंबोली - नवी मुंबई, महाराष्ट्र में 103.25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (कालंबोली -

फर्मास्युटिकल डिवीजन) द्वारा फर्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

25. धीरूभाई अंबानी नालेज सिटी, कोपर खैरने, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में 11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए रिलायंस इनफोकॉम इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 37) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र में कुछ सड़कें हैं। रिकार्डों के आधार पर अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने स्पष्ट किया है कि ये आंतरिक निजी सड़कें हैं जो एसईजेड का अंग होंगी और यह कि कोई आम रास्ता नहीं है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने भी पुष्टि की कि ये केवल आंतरिक निजी सड़कें हैं और वे न तो आम रास्ता हैं और न ही आम जनता के लिए उपलब्ध हैं। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने धीरूभाई अंबानी नालेज सिटी, कोपर खैरने, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में 11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रिलायंस इनफोकॉम इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए इस शर्त के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि आंतरिक सड़कें आम रास्ता नहीं हैं।

26. ग्राम पेरुम्बाक्कम और शोलिंगनल्लूर, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 80.81.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध (क्रम संख्या 39) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम पेरुम्बाक्कम और शोलिंगनल्लूर, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 80.81.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

27. ग्राम वड़ापलांजी, मदुरै दक्षिण तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु में 86.46.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध (क्रम संख्या 40) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम वड़ापलांजी, मदुरै दक्षिण तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु में 86.46.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

28. ग्राम गंगैकोंडन, तिरुनेलवेली तालुक, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु में 40.48 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध (क्रम संख्या 41) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम गंगैकोंडन, तिरुनेलवेली तालुक, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु में 40.48 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

29. ग्राम नवलपट्टू, तिरुचिरापल्ली तालुक, तिरुचिरापल्ली जिला, तमिलनाडु में 49.89 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध (क्रम संख्या 42) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम नवलपट्टू, तिरुचिरापल्ली तालुक, तिरुचिरापल्ली जिला, तमिलनाडु में 49.89 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

30. होसुर तालुक, कृष्णागिरि जिला, तमिलनाडु में 70.08 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध (क्रम संख्या 43) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने होसुर तालुक, कृष्णागिरि जिला, तमिलनाडु में 70.08 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

31. ग्राम जागीर अम्मापलयम, सलेम तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु में 66.50.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध (क्रम संख्या 44) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम जागीर अम्मापलयम,

सलेम तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु में 66.50.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

32. ग्राम इलाधैकुलम, मदुरै उत्तर तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु में 11.70.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध (क्रम संख्या 45) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम इलाधैकुलम, मदुरै उत्तर तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु में 11.70.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

33. सिपकॉट औद्योगिक परिसर, रानीपेट फेज 3, तमिलनाडु में 105.26 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में लेदर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (सिपकॉट) का अनुरोध (क्रम संख्या 46) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सिपकॉट औद्योगिक परिसर, रानीपेट फेज 3, तमिलनाडु में 105.26 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (सिपकॉट) द्वारा लेदर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

34. माउंट पूनामाली हाई रोड, इय्यापंतंगल, पोरुर, चेन्नई, तमिलनाडु में 10.189 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एस्ट्रा आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा 1 का क्रमांक 1 (ii)) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम माउंट पूनामाली हाई रोड, इय्यापंतंगल, पोरुर, चेन्नई, तमिलनाडु में 10.189 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एस्ट्रा आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

35. नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में 10.77 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए नया रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) का अनुरोध (पूरक एजेंडा 1 का क्रमांक 1 (iii)) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करती है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि यद्यपि 60 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के लिए आवेदन किया गया है परंतु केवल 10.77 हेक्टेयर पर विकासक का कब्जा है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में 10.77 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में नया रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) द्वारा आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

36. तूतीकोरीन में 121.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स सीसीसी लिमिटेड का प्रस्ताव (पूरक एजेंडा II के परिशिष्ट में मद संख्या 3) :

नोट किया गया कि निगमन के प्रमाण पत्र के अभाव में 5 जून 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया था और यह कि विकासक ने अब निगमन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने तूतीकोरीन में 121.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स सीसीसी लिमिटेड द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

37. बोलपुर, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल में 21.04 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए शांतिनिकेतन इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (सारणी एजेंडा) :

नोट किया गया कि सन्निकटता के मुद्दे के कारण 5 जून, 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया था। यह भी नोट किया गया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है कि एसईजेड का 52 एकड़ संस्पर्शी है और एसईजेड के प्रस्तावित क्षेत्र से कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने बोलपुर, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल में 21.04 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में शांतिनिकेतन इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

38. गुड़गांव फरीदाबाद रोड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी एवं आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स हीरा कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19 जून, 2007) :

नोट किया गया कि 5 जून 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव सन्निकटता के मुद्दे पर आस्थगित कर दिया गया था तथा विकासक द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है कि पिछले स्वामियों से कब्जा प्राप्त करके विभिन्न पंजीकृत बिक्री विलेखों / करारों के अंतर्गत प्रस्तावित एसईजेड के लिए उनके द्वारा खरीदा गया भूखंड पूर्णत: और निरपेक्ष रूप से संस्पर्शी है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने भी विकासक के दावे की पुष्टि की। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने गुड़गांव फरीदाबाद रोड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स हीरा कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(2) सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. महिशादल पीएस हल्दिया, पूर्बा, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में 1012 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फर्मा, बायोटेक और केमिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 2) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने महिशादल पीएस हल्दिया, पूर्बा, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में 1012 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा फर्मा, बायोटेक और केमिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. करनाल और अंबाला जिला के बीच, हरियाणा में 101.98 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में क्षेत्र विशिष्ट कृषि आधारित एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स अमीरा फूड्स इंडिया लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 6) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने करनाल और अंबाला जिला के बीच, हरियाणा में 101.98 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स अमीरा फूड्स इंडिया लिमिटेड द्वारा क्षेत्र विशिष्ट कृषि आधारित एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. खोपोली, तालुक खालापुर, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उत्तम गल्वा स्टील्स लिमिटेड (यूजीएसएल) और उत्तम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड (यूपीएसपीएल) के माध्यम से इंटीग्रेटेड स्टील एसईजेड की स्थापना के लिए उत्तम गल्वा ग्रुप का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने खोपोली, तालुक खालापुर, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उत्तम गल्वा स्टील्स लिमिटेड (यूजीएसएल) और उत्तम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड (यूपीएसपीएल) के माध्यम से उत्तम गल्वा ग्रुप द्वारा इंटीग्रेटेड स्टील एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. जिला तिरुवल्लूर, तमिलनाडु में 120 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक्स एवं इलेक्ट्रिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध (क्रम संख्या 11) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने जिला तिरुवल्लूर, तमिलनाडु में 120 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम द्वारा इलेक्ट्रानिक्स एवं इलेक्ट्रिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. जिला तिरुवल्लूर, तमिलनाडु में 133 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग उपकरण एवं कंपोनेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध (क्रम संख्या 12) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने जिला तिरुवल्लूर, तमिलनाडु में 133 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम द्वारा इंजीनियरिंग उपकरण एवं कंपोनेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. भिवाडी के पास, अलवर जिला, राजस्थान में 2024 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 15) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने भिवाडी के पास, अलवर जिला, राजस्थान में 2024 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

7. ग्राम फुरसुंगी, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 101.2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स डी एस कुलकर्णी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्र संख्या 16) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम फुरसुंगी, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 101.2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स डी एस कुलकर्णी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

8. देवनहल्ली, नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास, बंगलौर, कर्नाटक में 200 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एयरोस्पेस संबद्ध उद्योग के लिए क्षेत्र कर्नाटक औद्योगिक विकास क्षेत्र विकास बोर्ड का अनुरोध (क्रम संख्या 19) :

राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने जिला देवनहल्ली, नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास, बंगलौर, कर्नाटक में 200 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कर्नाटक औद्योगिक विकास क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा एयरोस्पेस संबद्ध उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

9. जिला विरुधुनगर, तमिलनाडु में 1049 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 38) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने जिला विरुधुनगर, तमिलनाडु में 1049 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(3) आस्थगन के लिए निर्णय :

(i) नागपुर, महाराष्ट्र में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 7) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने पहले सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तथापि, राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने अग्रेतर जांच के लिए प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित कर दिया।

(ii) नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स सेंचुरी एवेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 13) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने पहले औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। बैठक में राज्य सरकार का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। यह देखते हुए

कि राज्य सरकार ने हाल ही में सूचित किया है कि राज्य सरकार की सभी सिफारिशें नई सरकार द्वारा समीक्षा के अधीन हैं, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने तथा इस मामले में सिफारिशों पर राज्य सरकार की राय प्राप्त करने का निर्णय लिया।

(iii) नंदागुडी होबली, होसकोट तालुक, कर्नाटक में 5000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए स्किल इनफ्रास्ट्रक्चर का अनुरोध (क्रम संख्या 23)

एवं

(iv) लियम, कैनकोना तालुक, गोवा में 300 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 27) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा अनुरोध सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए है। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों ने इस बात को लेकर शंका व्यक्त की कि क्या विकासक यह देखते हुए दो और बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने की स्थिति में होगा कि उनका निवल मूल्य मात्र 463 करोड़ रुपए है और वे हिमाचल प्रदेश में तीन एसईजेड के लिए पहले ही सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हो चुके हैं। विकासक को अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया। इतनी विशाल भूमि की आवश्यकता एवं उपलब्धता के संबंध में उनको सूचित किया गया कि ईजीओएम के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार एसईजेड की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं करेगी। विकासक ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि उन्होंने सर्वे कर लिया है तथा लोकेशन की पहचान कर ली है तथा वे यह जानते हैं कि राज्य सरकार उनके लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं करेगी। जहां तक उनके निवल मूल्य और इतने सारे एसईजेड का विकास करने की क्षमता का संबंध है, उन्होंने सूचित किया कि कंपनी 500 मिलियन अमरीकी डालर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करेगी जिसके लिए वे एफआईपीबी के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अनुमोदन बोर्ड ने यह शंका व्यक्त की कि क्या विकासक बहुत कम निवल मूल्य के साथ इतने सारे अन्य प्रस्तावों के साथ आगे बढ़ सकता है तथा विकासक को हिमाचल प्रदेश में पहले अनुमोदित किए जा चुके एसईजेड में से एक को छोड़ने, जहां अभी तक उन्होंने काम शुरू नहीं किया है, या एफआईपीबी के अनुमोदन के बाद दृढ़ निवल मूल्य के साथ वापस आने का विकल्प प्रदान किया। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने क्रमांक 23 और 27 पर सूचीबद्ध स्किल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के दोनों प्रस्तावों को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(v) ग्राम हिंजेवाड़ी, तालुक मुल्शी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स बेस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा 1 का क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तथापि, राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उन्होंने एमआईडीसी से इस स्पष्टीकरण के अधीन सशर्त अनुमोदन जारी किया था कि एमआईडीसी की भूमि के साथ कोई ओवरलैपिंग नहीं है और अब एमआईडीसी द्वारा सूचित किया गया है कि एमआईडीसी द्वारा अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि के साथ प्रस्तावित भूमि में 0.79 हेक्टेयर की ओवरलैपिंग है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के कब्जे में 10 हेक्टेयर की स्पष्ट भूमि होने तक प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

पूरक एजेंडा I :

मद संख्या 1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

i. ग्राम हिंजेवाड़ी, तालुक मुल्शी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग गुड्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स बेस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(निर्णय संख्या v में आस्थगन के अंतर्गत सूचीबद्ध हो चुका है)

ii. माउंट पूनामाली हाई रोड, इय्यापंतंगल, पोरुर, चेन्नई, तमिलनाडु में 10.189 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एस्ट्रा आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा का क्रमांक 1 (ii)) :

(निर्णय संख्या 34 में औपचारिक अनुमोदन के अंतर्गत सूचीबद्ध हो चुका है)

iii. नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में 60 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए नया रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) का अनुरोध (पूरक एजेंडा का क्रमांक 1 (iii)) :

(निर्णय संख्या 33 में औपचारिक अनुमोदन के अंतर्गत सूचीबद्ध हो चुका है)

मद संख्या 2 : डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सह विकास के लिए प्रस्तावित डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में एफडीआई

डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सह विकास के लिए प्रस्तावित डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में एफडीआई के अनुमोदन के अनुरोध को नोट किया गया।

मद संख्या 3 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

जब अधिसूचित एसईजेड के लिए अधिकृत प्रचालनों के अनुमोदन से संबंधित मदों को लिया गया तब राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि यद्यपि वे सामाजिक अवसंरचना की मात्रा एवं आकार के संबंध में विशिष्ट ब्यौरों की मांग करते रहे हैं परंतु एजेंडा में सूचीबद्ध अनेक प्रस्ताव ऐसे हैं जिनमें अपेक्षित अवसंरचना के विशिष्ट आकार या मात्रा का उल्लेख नहीं है और वे अधिकृत गतिविधियों पर अधिसूचना की प्रतिकृति मात्र हैं। इस संबंध में बताया गया कि चूंकि अनुमोदन बोर्ड द्वारा अधिकृत प्रचालनों के वास्तविक अनुमोदन तथा अधिसूचना की तारीख के बीच अंतर मौजूद है, इसलिए अनुमोदन बोर्ड के सचिवालय ने अधिसूचित एसईजेड के ऐसे सभी अनुरोधों को सूचीबद्ध किया है। सुझाव दिया गया कि अनुमोदन बोर्ड पहले की तरह ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकता है तथा ऐसी गतिविधियों को आस्थगित कर सकता है जहां ब्यौरों या औचित्य की आवश्यकता है। विकल्प के तौर पर सुझाव दिया गया कि अनुमोदन बोर्ड परियोजना कार्यान्वयन में विलंब से बचने के लिए बुनियादी गतिविधियों की सूची को मंजूरी प्रदान कर सकता है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि कुछ बुनियादी अधिकृत गतिविधियां जो एसईजेड की शुरुआत के लिए अपेक्षित हैं, समवत आधार पर अनुमोदित की जा सकती हैं जो यथास्थिति विकासक या सह विकासक द्वारा एसईजेड की अधिसूचना के बाद संचालित की जा सकती हैं। ऐसे डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों की सूची अनुबंध क में दी गई है। यह भी निर्णय लिया गया कि अनुमोदन समिति / विकास आयुक्त एसईजेड की अधिसूचना की तारीख से इन अधिकृत गतिविधियों के लिए विकासकों को ड्यूटी फ्री सामग्री की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। अन्य प्रस्तावित गतिविधियों के लिए विस्तृत अनुरोध किया जा सकता है तथा नीचे सूचीबद्ध गतिविधियों के लिए विकासक या सह विकासक विस्तृत औचित्य तथा मात्रा / आकार के साथ अनुमोदन बोर्ड को अलग से विस्तृत आवेदन कर सकते हैं।

(क) शॉपिंग आर्केड / रिटेल स्पेस / मल्टीप्लेक्स
(ख) आवास/ सर्विस अपार्टमेंट
(ग) क्लीनिक एवं चिकित्सा केन्द्र / अस्पताल
(घ) स्कूल / शैक्षिक संस्था
(ङ) विद्युत उत्पादन
(च) व्यवसाय / सम्मेलन केन्द्र
(छ) गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यालय स्थान / वाणिज्यिक स्थान

तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने डिफाल्ट सूची के अनुसार अनुबंध में सूचीबद्ध इन सभी गतिविधियों को अनुमत करने का निर्णय लिया।

अनुमोदन बोर्ड ने विकासकों द्वारा अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध पर विचार किया तथा निम्नलिखित विकासकों के संबंध में अनुबंध 1 से 4 के अनुसार विशिष्ट मात्रा के लिए मंजूरी प्रदान की :

1. मैसर्स टॉपनोच इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आईटी / आईटीईएस के लिए, आंध्र पदेश - अनुबंध 1
2. मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आईटी / आईटीईएस के लिए, तमिलनाडु - अनुबंध 2
3. मैसर्स जिलोन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, आईटी / आईटीईएस के लिए, तमिलनाडु - अनुबंध 3
4. केआईएडीबी, कपड़ा, फर्मा और खाद्य प्रसंस्करण के लिए, कर्नाटक - अनुबंध 4

मद संख्या 4 : अधिकृत गतिविधियों में से एक के रूप में असेसरीज के साथ टग के लिए मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का अनुरोध

प्रस्ताव वापस ले लिया गया क्योंकि संयुक्त विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने सूचित किया कि विकासक टग पेइंग ड्यूटी क्लियर कर चुका है।

मद संख्या 5 : मैसर्स एनफिल्ड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संबंध में कल्याणी एक्सप्रेसवे, नदिया, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासक के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने तथा साइट में परिवर्तन को मंजूरी प्रदान करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध पर विचार किया तथा केवल साइट को कल्याणी एक्सप्रेसवे, नदिया से बदलकर मौजा गाजीपुर, पश्चिम बंगाल करने के लिए मंजूरी प्रदान की।

पूरक एजेंडा II

मद संख्या 1 : क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए अनुरोध

(क) एयरोली, जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स सीरीन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अधिसूचना के प्रयोजनार्थ क्षेत्रफल को 14.07 हेक्टेयर से बढ़ाकर 19.40 हेक्टेयर करने के लिए एयरोली, जिला थाणे, महाराष्ट्र में मैसर्स सीरीन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(ख) रायगढ़, महाराष्ट्र में एफटीडब्ल्यूजेड एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स चिपलून इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

नोट किया गया कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि को क्षेत्रफल के संबंध में कुछ और ब्यौरों की आवश्यकता है जिसके लिए विस्तार की मांग की गई है। इसलिए, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर राज्य

सरकार के विचार / टिप्पणियां प्रस्तुत होने तक क्षेत्रफल को 40 हेक्टेयर से बढ़ाकर 56.65 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स चिपलून इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

(ग) गुजरात में सूरत एसईजेड के विस्तार के लिए मैसर्स डायमंड एंड जेम डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अधिसूचना के प्रयोजनार्थ 24-92-03 हेक्टेयर के क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए मैसर्स डायमंड एंड जेम डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 2 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने पूरक एजेंडा की मद संख्या 3 के अंतर्गत उल्लेख के अनुसार अनुमोदन बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अधिकृत प्रचालनों के लिए विकासकों के अनुरोधों पर विचार किया और निम्नलिखित विकासकों के अनुरोधों के संबंध में विशिष्ट मात्रा के लिए मंजूरी प्रदान की :

1. मैसर्स हैदराबाद रत्न एसईजेड लिमिटेड, रत्न और आभूषण के लिए, आंध्र प्रदेश - अनुबंध 5
2. मेसर्स मेडिटैब स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, फर्मा के लिए, गोवा - अनुबंध 6
3. मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आईटी / आईटीईएस के लिए, जिगनी - अनुबंध 7
4. मेसर्स हैकेन्डा इन्फोटेक एंड रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, आईटी / आईटीईएस के लिए, तमिलनाडु - अनुबंध 8
6. मैसर्स इंफोसिस टैक्नोलाजीज लिमिटेड, आईटी / आईटीईएस के लिए, मैसूर और पुणे - अनुबंध 9
7. मैसर्स सत्यम कम्प्यूटर्स सर्विसेज लिमिटेड, आईटी / आईटीईएस, आंध्र प्रदेश - अनुबंध 10

मैसर्स वोकहार्ड, शेंद्रे, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट अथॉरिटी एसईजेड, मिहान, महाराष्ट्र द्वारा किए गए अनुरोधों जो पूरक एजेंडा 2 के क्रमश: अनुबंध 1 और 13 में निहित हैं, के संबंध में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि विकासक को अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त औचित्य प्रदान करते हुए प्रस्तुति देने के लिए अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में बुलाया जा सकता है।

मैसूर और पुणे में अपने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर इनहाउस प्रशिक्षण सुविधाओं का निर्माण करने के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में विकासक ने विस्तृत प्रस्तुति दी। बताया गया कि इस बात को देखते हुए ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है कि प्रत्येक एसईजेड में 6000 से अधिक कर्मचारियों में से कम से कम 25 प्रतिशत कर्मचारी किसी भी समय प्रशिक्षण पर होंगे और स्वयं प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर ये सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। विकासक ने बताया कि लिविंग क्वाटर के लिए 450 वर्गफीट और लैब आदि के लिए 160 वर्गफीट की दर से प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए स्पेस की आवश्यकता होगी। उन्होंने यह भी बताया कि आवासीय एवं प्रशिक्षण सुविधाएं एक साथ होनी चाहिए। विस्तृत विचार विमर्श के बाद, निर्णय लिया

गया कि विकासक को एसईजेड में 100000 वर्गमीटर के प्रत्येक निर्मित स्पेस के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर एसईजेड के कर्मचारियों द्वारा प्रयोग के लिए 25000 वर्गमीटर के प्रशिक्षण क्षेत्र और तद्नुरूप हास्टल की सुविधा विकसित करने की अनुमति दी जा सकती है। अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 9 और 11 के अनुसार इनफोसिस द्वारा विकसित किए जाने वाले संबंधित एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों की मात्रा के लिए भी मंजूरी प्रदान की।

पूरक एजेंडा II का परिशिष्ट

मद संख्या 3 : तूतीकोरीन में 121.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स सीसीसी लिमिटेड का प्रस्ताव सारणी एजेंडा की क्रम संख्या 1)

(निर्णय संख्या 33 में औपचारिक अनुमोदन के अंतर्गत सूचीबद्ध हो चुका है)

मद संख्या 4 : सेक्टर विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए क्षेत्रफल को 41.278 हेक्टेयर से बढ़ाकर 67.642 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स सनसिटी हरियाणा एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने क्षेत्रफल को 41.278 हेक्टेयर से बढ़ाकर 67.642 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स सनसिटी हरियाणा एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

सारणी एजेंडा

36. बोलपुर, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल में 21.04 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए शांतिनिकेतन इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (सारणी एजेंडा) (पूरक एजेंडा II के परिशिष्ट की मद संख्या 3)

(निर्णय संख्या 34 में औपचारिक अनुमोदन के अंतर्गत सूचीबद्ध हो चुका है)

अतिरिक्त एजेंडा

(विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए आस्थगित प्रस्ताव)

(क) मोहाली, पंजाब में मैसर्स लार्क प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस एसईजेड की स्थापना के लिए प्रस्ताव

5 जून 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में संपूर्ण भूमि पर विकासक का कब्जा न होने के कारण मोहाली, पंजाब में मैसर्स लार्क प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस एसईजेड की स्थापना के लिए प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया। नोट किया गया कि पंजाब सरकार ने ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं जिनसे पता चलता है कि बिक्री विलेख, सामान्य पावर ऑफ अटार्नी तथा भूमि के विभिन्न टुकड़ों के लिए बिक्री करार के रूप में विकासक के कब्जे में कितनी भूमि है। तथापि, नोट किया गया कि राज्य सरकार ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि भूमि विकासक के कब्जे में है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(ख) गुड़गांव फरीदाबाद रोड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी एवं आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स हीरा कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(निर्णय संख्या 35 में औपचारिक अनुमोदन के अंतर्गत सूचीबद्ध हो चुका है)

अनुबंध क

अधिकृत गतिविधियां जो अधिसूचना की तिथि से डिफाल्ट के रूप में विकासक / अनुमोदित सह विकासक द्वारा संचालित की जा सकती हैं

(क) सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं, जैव प्रौद्योगिकी तथा रत्न एवं आभूषण विशेष आर्थिक क्षेत्र :

1. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
2. जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
3. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र
4. उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क
5. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
6. वर्षा जल संचयन संयंत्र
7. प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एयरकंडिशनिंग
8. स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
9. लैंडस्केपिंग तथा वाटर बॉडीज
10. चारदीवारी
11. निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र जो न्यूनतम निर्धारित 1 लाख वर्गमीटर से कम नहीं होगा
12. सीमा शुल्क तथा सुरक्षा स्टाफ के लिए कार्यालय स्थान जो 500 वर्गमीटर से कम नहीं होगा

(ख) क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र

1. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
2. जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
3. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र
4. उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क
5. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
6. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
7. वर्षा जल संचयन संयंत्र

8. लैंडस्केपिंग तथा वाटर बॉडीज
9. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
10. ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां
11. चारदीवारी
12. प्रसंस्करण क्षेत्र में फैक्ट्री शेड
13. सीमा शुल्क तथा सुरक्षा स्टाफ के लिए कार्यालय स्थान जो 500 वर्गमीटर से कम नहीं होगा

(ग) बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र

1. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
2. जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
3. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र
4. उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क
5. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
6. खेल का मैदान
7. लैंडस्केपिंग तथा वाटर बॉडीज
8. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
9. ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां
10. चारदीवारी
11. फैक्ट्री शेड
12. सीमा शुल्क तथा सुरक्षा स्टाफ के लिए कार्यालय स्थान जो 500 वर्गमीटर से कम नहीं होगा

अनुबंध 1

टॉपनोच इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन

क्र. सं.	मद	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1	आवास		10,000
2	शॉपिंग और एंटरटेनमेंट आर्केड		1000

अनुबंध 2

मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

क्र. सं.	**मदें**	**प्रसंस्करण क्षेत्र (वर्गमीटर में)**	**गैर प्रसंस्करण क्षेत्र (वर्गमीटर में)**
1	कार्यालय स्थान	3,50,000.00	
2	आवास/ सर्विस अपार्टमेंट	-	10,000
3	शॉपिंग आर्केड और/या रिटेल स्पेस	-	1,000

अनुबंध 3

जिलियन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन

क्र. सं.	मद	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1	आवास/ सर्विस अपार्टमेंट		10,000
2	शॉपिंग अर्कांडे और/या रिटेल स्पेस		1,000

अनुबंध 4

कर्नाटक आद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड, वस्त्र, हासन

क्र. सं.	**मद**	**अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1	कार्यालय स्थान		5000 वर्गमीटर से अधिक नहीं
2	आवास/ सर्विस अपार्टमेंट		1,00,000* - बस जाने पर अधिक आवश्यकता के लिए वापस आने के लिए
3	शॉपिंग आर्केड और/या रिटेल स्पेस		20,000

* केआईएडीबी के वस्त्र, फर्मास्युटिकल तथा खाद्य प्रसंस्करण एवं संबद्ध सेवा क्षेत्र एसईजेड के लिए आवास के प्रयोजनार्थ।

अनुबंध 5

हैदराबाद जेम्स एसईजेड लिमिटेड

क्र. सं.	सामाजिक अवसंरचना का प्रकार	मांगा गया आकार	अनुमोदित मात्रा
1.	प्रशासन भवन	50,000 वर्गफीट	5000 वर्गमीटर
2.	क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं		
3.	आवासन या सर्विस अपार्टमेंट	1 मिलियन वर्गफीट	50,000 वर्गमीटर
4.	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस	30,000 वर्गफीट	3000 वर्गमीटर
6.	विद्‌युत	34 मेगावाट	34 मेगावाट
7.	व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र	आधा मिलियन वर्गफीट	10000 वर्गमीटर
8.	डीटीए के लिए मानक कारखाना	2 लाख वर्गफीट	अनुमोदित नहीं
9.	शॉपिंग अर्काडे और/या रिटेल स्पेस	आधा मिलियन वर्गफीट	5000 वर्गमीटर

अनुबंध 6

मेडिटैब स्पेसियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	सुविधाएं	अनुरोध किया गया निर्माण क्षेत्र	अनुमोदित मात्रा / स्टेटस
1.	कार्यालय स्थान	10,000 वर्गमीटर	1000 वर्गमीटर अतिरिक्त आवश्यकता के लिए औचित्य के साथ वापस आना होगा।
2 और 3	शॉपिंग आर्केड और रिटेल स्पेस	20,000 वर्गमीटर 40,000 वर्गमीटर	सामूहिक रूप से 5000 वर्गमीटर
4.	आवास	20,000 वर्गमीटर	20,000 वर्गमीटर
5.	सर्विस अपार्टमेंट	10,000 वर्गमीटर	1500 वर्गमीटर
6.	मेडिकल सेंटर	2,000 वर्गमीटर	1,000 वर्गमीटर
7.	व्यवसाय एवं सम्मेलन केन्द्र	20,000 वर्गमीटर	औचित्य के साथ वापस आने के लिए

अतिरिक्त अनुरोध

क्र. सं.	सुविधाएं	मात्रा	निर्माण क्षेत्र	अनुमोदित मात्रा / स्टेटस
1.	सीएनजी फिलिंग स्टेशन के साथ पेट्रोल पंप	1 यूनिट	5,000 वर्गमीटर	आवश्यकता का औचित्य साबित करना होगा
2.	गैराज	1 यूनिट	1,000 वर्गमीटर	1,000 वर्गमीटर
3.	तुला ब्रिज	1 यूनिट	500 वर्गमीटर	आवश्यकता का औचित्य साबित करना होगा
4.	फायर स्टेशन	1 यूनिट	1,500 वर्गमीटर	1,500 वर्गमीटर
5.	वर्षा जल संचयन संयंत्र	1 यूनिट	10,000 वर्गमीटर	10,000 वर्गमीटर

अनुबंध 7

एचसीएल टेक्नोलाजीज, जिगानी

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन

क्र. सं.	**मद**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1	आवास/ सर्विस अपार्टमेंट	10,000
2	शॉपिंग आर्केड और/या रिटेल स्पेस	1,000

अनुबंध 8

मैसर्स हैकेन्डा इन्फोटेक एंड रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
गैर - प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन

क्र. सं.	**मद**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1	आवास/ सर्विस अपार्टमेंट	10,000
2	शॉपिंग अर्काडे और/या रिटेल स्पेस	1,000

अनुबंध 9

मैसर्स इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड मैसूर

प्रसंस्करण और गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन

क्र. सं.	**मद**	**प्रसंस्करण क्षेत्र (वर्गमीटर में)**	**गैर प्रसंस्करण क्षेत्र (वर्गमीटर में)**
1	आवास/ सर्विस अपार्टमेंट	-	10,000
2	प्रशिक्षण केंद्र	1,00,000 वर्गमीटर के प्रत्येक निर्मित क्षेत्र के लिए 25,000 वर्गमीटर तक	-

मैसर्स इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पुणे

प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन

क्र. सं.	**मद**	**प्रसंस्करण क्षेत्र (वर्गमीटर में)**	**गैर प्रसंस्करण क्षेत्र (वर्गमीटर में)**
1	आवास/ सर्विस अपार्टमेंट	-	10,000
2	प्रशिक्षण केंद्र	1,00,000 वर्गमीटर के प्रत्येक निर्मित क्षेत्र के लिए 25,000 वर्गमीटर तक	-

अनुबंध 10

मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड

प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन

क्र. सं.	**मद**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1	आवास/ सर्विस अपार्टमेंट	10,000
2	शॉपिंग अर्काडे और/या रिटेल स्पेस	1,000

अनुबंध 11-क

मैसर्स इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, तमिलनाडु

प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन

क्र. सं.	**मद**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1	प्रशिक्षण केंद्र	1,00,000 वर्गमीटर के प्रत्येक निर्मित क्षेत्र के लिए 25,000 वर्गमीटर तक

मैसर्स इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, त्रिवेंद्रम

प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन

क्र. सं.	**मद**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1	प्रशिक्षण केंद्र	1,00,000 वर्गमीटर के प्रत्येक निर्मित क्षेत्र के लिए 25,000 वर्गमीटर तक

परिशिष्ट I

वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में 22 जून, 2007 को आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अनुमोदन बोर्ड की बैठक के प्रतिभागियों की सूची

1. श्री जी के पिल्लई, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग- अध्यक्ष
2. श्री राकेश सिंह, संयुक्त सचिव (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय
3. श्री दिनेश वर्मा, सीआईटी (आईटीए), सीबीडीटी
4. श्री जगदीप गोयल, निदेशक (आईटीए-I), सीबीडीटी
5. श्री देवेंद्र दत्त, सदस्य (सीबीईसी), राजस्व विभाग
6. श्री बी बी महापात्रा, अपर सचिव, निदेशक (ईपी), सीबीईसी
7. श्री एम विनोद कुमार, एडीजी (ईपी), सीबीईसी
8. श्री वी के झा, सचिव (उद्योग / एसईजेड), गोवा सरकार
9. श्री पी के चौधरी, प्रमुख सचिव, आईटी, हरियाणा
10. श्री बी साम्बो, प्रमुख सचिव (उद्योग और वाणिज्य), आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद
11. श्री के राजारमन, विशेष सचिव (उद्योग), तमिलनाडु सरकार
12. श्री एस के बेहर, विशेष सचिव (वाणिज्य और उद्योग), छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर
13. श्री प्रताप एम, सीएम के अतिरिक्त सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद
14. श्रीमती मालिनी वी शंकर, विकास आयुक्त (उद्योग), महाराष्ट्र सरकार
15. डॉ राज कुमार खत्री, आयुक्त (औद्योगिक विकास), कर्नाटक सरकार
16. श्री के एस चंद्रशेखर, महाप्रबंधक (परियोजनाएँ), संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली
17. श्री भाष्कर खुलबे, सलाहकार (उद्योग), पश्चिम बंगाल सरकार
18. श्री एन एम एन बाबू, उप सचिव और एलओ, केरल सरकार
19. श्री पीटर बारा, महाप्रबंधक, डीआईसी, संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली
20. श्री आर एम नाइकडे, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एमआईडीसी, महाराष्ट्र
21. श्री विशाल देव, प्रबंध निदेशक, उड़ीसा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम, भुवनेश्वर, उड़ीसा
22. श्री के रांका, एमडी, रीको
23. श्री सी उमाशंकर, एमडी, ईएलसीओटी, चेन्नई
24. श्री बी एलंगोवन, महाप्रबंधक, टिडको, चेन्नई
25. श्री ए के झा, निदेशक, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
26. श्री आर के तिवारी, उपायुक्त, डीएसी, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली
27. श्री एस एन जिंदल, डीजी, एसटीपीआई, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
28. श्री एस के शर्मा, उप निदेशक (ईपी), एमएसएमई मंत्रालय
29. श्री शिव सिंह मीणा, एसोसिएट इकोनॉमिस्ट, शहरी विकास मंत्रालय, टीसीपीओ, नई दिल्ली

30. श्री वाई रमेश, टाउन एंड कंट्री प्लानर, शहरी विकास मंत्रालय, टीसीपीओ, नई दिल्ली
31. श्री वी पी सिंह तोमर, सीनियर साइंटिस्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली
32. श्री एल बी सिंघल, महानिदेशक, ईपीसीईएस

विकास आयुक्त

33. श्री सुरेश चंद्र पांडा, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड, उत्तर प्रदेश
34. श्री बी विजयन, विकास आयुक्त, एमईपीजेड, चेन्नई, तमिलनाडु
35. श्री एन सग्गी, विकास आयुक्त, मुंबई, महाराष्ट्र
36. श्री उपेंद्र वशिष्ठ, विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड, गांधीधाम, गुजरात
37. श्री डॉ एम वी सुब्बा रेड्डी, जेडीसी, वीएसईजेड
38. श्री संजय रस्तगी, ईसी, डीजीएफटी का कार्यालय

वाणिज्य विभाग

39. श्री अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
40. श्री योगेन्द्र गर्ग, निदेशक, वाणिज्य विभाग
41. 35. श्री पी वी शिवरामन (उप सचिव), वाणिज्य विभाग
42. श्रीमती बी रवींद्रन, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग
43. श्रीमती जी वी झिंगाखाई, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग